

न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा
(निर्णय बड़जलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई०ए०एस० संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 126/2020/अपील/एलआरएक्ट/बारां कोर्ट कैंप
दायरा दिनांक: 18.09.2020
अन्तर्गत धारा: 76 राज०भू राजस्व अधि०, 1956

उनवान

मदनलाल पुत्र लटूरलाल जाति नायक, निवासी दिलोद, तहसील बारां, जिला बारां

...अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां, जिला बारां

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री मदनलाल गालव, अभिभाषक —अपीलार्थी
पेरोकार सरकार — रेस्पो०

::निर्णयः

दिनांक 02.05.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बारां (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं० 154/2014 बउनवान मदनलाल बनाम राज० सरकार में पारित निर्णय दिनांक 05.08.2015 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) के विरुद्ध यह द्वितीय अपील राज० भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश की गई।

- 1 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 617/2014 धारा 91 एलआरएक्ट के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 11.03.2014 से अपीलार्थी को वाके ग्राम दीलोदा की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2070 में खसरा संख्या 601, 596 की 0.20 है० भूमि पर फसल गेहूं काश्त कर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 30 दिवस की सिविल कारावास की सजा एवं 100/- रुपये शास्ति से दण्डित किये जाने के विरुद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के यहां पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील परिसीमा में नहीं होने से निर्णय दिनांक 05.08.2015 से खारिज की गई। उक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में इस आशय की अपील पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालयों में अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है। मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलार्थी को दोषी मानकर दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के निर्णय में जो कण्डोन दर्शाया है, जिस पर अपील को अवधि मध्य ना मानकर गलत रूप से निर्णय पारित करने में भारी त्रुटि की है। अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा

काशत नहीं है तथा तावान राशि जमा करा दी गई है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

- 2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।
- 3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलार्थी को दोषी मानकर दण्डित किया गया है। अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा काशत नहीं है तथा तावान राशि जमा करा दी गई है। इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील परिसीमा में नहीं होने से निर्णय दिनांक 05.08.2015 से खारिज की गई। इस प्रकार अपीलार्थी पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त फरमाया जावे।
- 4 रेस्पो0 पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा वाके ग्राम दीलोदा की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2070 में खसरा संख्या 601, 596 की 0.20 है0 भूमि पर फसल गेहूं की काशत कर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 30 दिवस की सिविल कारावास की सजा एवं 100/- रूपये शास्ति से दण्डित किये जाने का न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 11.03.2014 पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा अपीलार्थी को बेदखली एवं फसल निलामी फर्द दिनांक 11.03.2014 पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर मौजूद होने से उक्तानुसार तहसीलदार, बारां के द्वारा सुनवाई का अवसर दिया जाना स्पष्ट होना मानते हुए तथा प्रस्तुत अपील परिसीमा में नहीं होने से निर्णय दिनांक 05.08.2015 से खारिज की गई। अतः अपील खारिज की जावे।
- 5 प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों का अवलोकन कर बहस अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार पर मनन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एवं आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा अपीलार्थी को वाके ग्राम दीलोदा की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2070 में खसरा संख्या 601, 596 की 0.20 है0 भूमि पर फसल गेहूं की काशत कर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 30 दिवस की सिविल कारावास की सजा एवं 100/- रूपये शास्ति से दण्डित किये जाने का निर्णय दिनांक 11.03.2014 पारित किया गया। जिसके विरुद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के यहां पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 05.08.2015 से अपील अपीलार्थी खारिज की गई। प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय हाजा में अपीलार्थी का तर्क रहा है कि अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है। मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलार्थी को दोषी मानकर दण्डित किया गया है। अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा काशत नहीं है तथा तावान राशि जमा करी दी गई है। इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील परिसीमा में नहीं होने से निर्णय दिनांक 05.08.2015 से खारिज की गई। उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि मुताबिक बयान पटवारी दिनांक 11.03.2014 अनुसार अपीलार्थी को सम्वत् 2069 में अतिक्रमण किये जाने पर प्रकरण सं0 301/13 निर्णय दिनांक 10.04.2013 से अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने पर सम्वत् 2070 में खसरा सं0 601, 596 की रकबा 0.20 है0 पर पुनः अतिक्रमी होने पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए निर्णय दिनांक 11.03.2014 से 100/- रूपये

शास्ति आरोपित करते हुए 30 दिवस के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है, किंतु उक्त निर्णय दिनांक 11.03.2014 में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि अपीलार्थी के द्वारा सम्वत 2069 में कितने रकबे पर अतिक्रमण किया गया था तथा कितनी शास्ति आरोपित की गई थी। साथ ही तहसीलदार, बारां से प्राप्त मौका रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2024/648 दिनांक 23.05.2024 में भी ग्राम दीलोदा की खसरा सं० 601, 596 की रकबा 0.20 किस्म चारागाह भूमि पर अपीलार्थी मदनलाल द्वारा सम्वत 2080 रबी में सरसों बोने पर धारा 91 के तहत नोटिस भेजा जाना तथा जुर्माना वसूल किया जाना अंकित किया गया, किंतु उक्त वसूल की गई जुर्माना राशि और बेदखल किये जाने की स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए तथा सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर न्यायालय जिला कलक्टर, बारां का निर्णय दिनांक 05.08.2015 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण न्यायालय तहसीलदार, बारां को इन निर्देशों के साथ प्रेषित किया जाता है कि "ग्राम दीलोदा की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2070 में खसरा संख्या 601, 596 की 0.20 है० भूमि" पर से अपीलार्थी द्वारा कब्जा हटा लिया हो तथा भविष्य में कभी कब्जा नहीं करने बाबत अपीलार्थी परीक्षण न्यायालय तहसीलदार बारां में शपथ-पत्र पेश कर दे तथा मौके पर उक्त अतिक्रमित भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा नहीं होने की पुष्टि तहसीलदार, बारां स्वयं अथवा भू-अभिलेख निरीक्षक से करवाये जिसमें यह साबित हो जाए कि अपीलार्थी/अतिक्रमी द्वारा कब्जा छोड़ दिया है तो 30 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड के आदेश को निरस्त किया जाता है तथा शेष आदेश जुर्माना आदि यथावत रहेगा। यदि मौके पर अपीलार्थी का कब्जा पाया जाता है तो सिविल कारावास का दण्ड यथावत रहेगा।

- 6 निर्णय आज दिनांक 02.05.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
संभागीय कोटा
कोटा संघ, कोटा